श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला सुरक्षा समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 05.09.2013 को पूर्वाह्न 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में सम्पन्न जिला सुरक्षा समिति के बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति -

1. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री नवीन चन्द्र झा, पुलिस आधीक्षक, मुंगेर।
3. श्री उमाकान्त राम, पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर।

बैठक के प्रारंभिक अवधि में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आम/विशिष्ट व्यक्तियों के साथ अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति से संबंधित पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर के पत्रांक 1245 से 1250, दिनांक 19.08.13, पत्रांक 1303, दिनांक 28.08.13 एवं पत्रांक 1327, दिनांक 30.08.13 द्वारा समर्पित अनुशंसा/प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इन पत्रों द्वारा भेजे गए सभी अनुशंसा दोषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं बिना गहन जांच-पड़ताल किए समर्पित किए गए हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि श्री ललन लाल श्रीवास्तव, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, द्वितीय, मुंगेर, जिनका स्थानान्तरण जून, 2013 में ही हो गया है, उनके संबंध में भी पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर ने पत्रांक 1250, दिनांक 19.08.13 से इन्हें सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंगरक्षक प्रदान करने की अनुशंसा की है। उपरोक्त पत्रों में वर्णित जांच के त्रुटिपूर्ण होने की पुष्टि उन्होंने अपने पत्रांक 1350, दिनांक 04.09.13 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को समर्पित पत्र के माध्यम से भी की है। अतः एक सरकारी सेवक द्वारा अपने कर्त्तव्य का निष्टापूर्वक निर्वहन न कर उच्चाधिकारी के समक्ष गलत प्रतिवेदन प्रेषित कर दिक्भ्रमित करना किसी भी परिस्थिति में क्षम्य नहीं है। अतः इस संबंध में श्री उमाकान्त राम, पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर, कार्यवाही प्रति प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे कि क्यों नहीं इस कृत्य के लिए उनके विरूद्ध विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित कर दिया जाए।

अतः उपरोक्त सभी अनुशंसा/प्रस्ताव को पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर को वापस करते हुए निदेश दिया जाता है कि उन अभ्यावेदनों में वर्णित तथ्यों के आलोक में Threat Perception का त्रूटिरहित वास्तविक जाँच/आकलन करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए, ताकि सुरक्षा के दृष्टिगत् उनके साथ अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति पर आगामी बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा सके।

तत्पश्चात् सर्वसम्मति से जिला सुरक्षा समिति की बैठक में परिचारी प्रवर, नवीन आरक्षी केन्द्र, मुंगेर को निम्न निदेश दिए गए :-

1. वर्तमान में गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण मुंगेर जिले के सदर प्रखंडान्तर्गत कई पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे प्रभावित व्यक्तियों के सहायतार्थ आवश्यकतानुसार विद्यालयों को राहत शिविर/शरण स्थली घोषित करते हुए सहाय्य मुहैया कराया जा रहा है एवं इसी दरम्यान कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा भीड़ एकत्रित कर राहत सामग्री की अनैतिक मांग हेतु सामान्य अवधि में जगह-जगह छिटपुट हिंसा एवं रोड जाम करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है, जिससे विधि-व्यवस्था संधारण में बाधा उत्पन्न होती है। इसी क्रम में अंचल अधिकारी, सदर ने अपने पत्रांक

1016, दिनांक 04.09.2013 से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया कि बाढ़ राहत की मांग करने वालों के बीच कुछ असामाजिक व्यक्तियों द्वारा अराजकता की स्थिति उत्पन्न की जा रही है तथा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में अंचल अधिकारी, सदर द्वारा अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति हेतु समर्पित अनुरोध पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचारण करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बाढ़ राहत कार्य चलने तक सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके साथ एक सशस्त्र अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाए।

2. **श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, पूर्व सदस्य, बिहार विधान सभा** :- पुलिस उपधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर को निदेश दिया गया कि श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, पूर्व सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 26.08.2013 को समर्पित अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में Threat Perception का वास्तविक जाँच/आकलन करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए, ताकि सुरक्षा के दृष्टिगत् उनके साथ अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति पर आगामी बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा सके।

3. **श्री राजीव कुमार, पूर्व मुखिया, महगामा पंचायत, धरहरा** :- बैठक की समीक्षा के क्रम में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री राजीव कुमार, पूर्व मुखिया, महगामा पंचायत, धरहरा के साथ प्रतिनियुक्त सिपाही सं0-461, विकास कुमार की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए वापस लिया जाए।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

6/9/13

पुलिस अधीक्षक,
मुंगेर।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 1772/गो0, दिनांक 06/09/2013

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर/परिचारी प्रवर नवीन आरक्षी केन्द्र, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 1772/गो0, दिनांक 06/09/2013

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस उप-महानिरीक्षक, मुंगेर प्रक्षेत्र, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।